

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग  
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5( ) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/बाढ़/2019/7652-65

जयपुर, दिनांक 18-9-19


आदेश

जिला कलक्टर, धौलपुर से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर धौलपुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप भारत सरकार के पत्रांक 32-7/2014 दिनांक 08.04.2015 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के संशोधित मानदण्डों के अनुसार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लघु एवं सीमान्त कृषकों के पशुओं के संरक्षण हेतु चारा डिपो खोले जाने हेतु जिला कलक्टर धौलपुर को अधिकृत किया जाता है। विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 4581-4613 दिनांक 21.6.19 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही चारा परिवहन अनुदान देय होगा। (प्रति संलग्न)

  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज., जयपुर
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज., जयपुर।
- 4 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
- 8 निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
- 9 निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
- 10 निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर।
- 11 निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, धौलपुर।
- 12 वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
- 13 समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
- 14 प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।

  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग  
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक:एफ 5( )आप्र.एवं सहा./ चारा डिपो/2019/ 45846B जयपुर,दिनांक

21/6/19


परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.5(9)आ.प्र.एवं सहा./ चारा/2009-10/5926-40 दिनांक 16.3.19 द्वारा निर्धारित चारा परिवहन अनुदान दरों का अतिक्रमण करते हुए चारा परिवहन दरें निम्नानुसार परिवर्तित की जाती हैं-

अनुदान राशि रूपये प्रति क्विंटल-


क्र.सं.	विवरण	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें
1	51 से 100 कि.मी.	120.00	150.00
2	101 से 200 कि.मी.	130.00	165.00
3	201 से 350 कि.मी.	150.00	190.00
4	351 से 500 कि.मी.	180.00	225.00
5	500 से अधिक	200.00	250.00
6	हरा चारा (गन्ने के अतिरिक्त )	80.00	100.00

उक्त दरें संवत् 2075 से प्रभावी होंगी।

  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज., जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज., जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. निजी सचिव, समस्त सम्भागीय आयुक्त।
12. निजी सचिव, समस्त जिला प्रभारी सचिव।
13. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
14. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर

  
संयुक्त शासन सचिव